न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण सं.:–192/2023

वादपत्र अर्न्तगत धारा:– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

जसवीर सिंह पुत्र संसार सिंह जाति जटसिख साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) हाल साकिन बजीतपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।

–वादी

बनाम

1. बलदेव कौर पत्नी स्व. संसार सिंह जाति जटसिख साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया हाल साकिन बजीतपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. चरणजीत कौर पुत्री स्व. संसार सिंह पत्नी संतपाल सिंह जाति जटसिंख साकिन डबलीबास कुतूब तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. जसविन्द्र कौर पुत्री स्व. संसार सिंह पत्नी सोमा सिंह जाति जटसिख साकिन डबलीबास कुतूब तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. सिमरजीत कौर पुत्री स्व. संसार सिंह पत्नी गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं 7 चक 10 एस.एल. डब्लू सिलवाला खुर्द तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

1. श्री रामनिवास बेदी एड. – वादी
2. श्री भीमसिंह छिंपा एड.– प्रति.सं. 1 से 4

दिनांक– 07-07-2023

निर्णय

वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि चक 2 आई.डी.जी. अंतिम चौसाला आधार संम्वत 2073 से 2076 के खाता सं. 27/27 के कुल सांझा खाता 1.581है0 कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम ब.ही.ब. तथा इसी चक के खाता सं. 97/69 में 0.182 है. हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के नाम ब.ही.ब.दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कुल पैतृक कृषि भूमि को लेकर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के बीच अरसा दराज पुर्व यानि स्व. संसार सिंह के जीवन काल में ही आपसी सहमति सें घरू बंटवारा हो गया था। घरू बंटवारा में वादी की मां प्रतिवादी सं. 1 व वादी की सगी बहने प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 नें अपने अपने विरास्तन पैतृक हक हिस्से का परित्याग वाद भूमि में मुझ वादी के पक्ष में कर दिया था। जिसकी ऐवज में प्रतिवादी सं. 1 को पंजाब के गांव बजीतपुरा भोमा की कृषि भूमि दी गई। तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 की शादी अपनी हैसियत से बढ़कर वादी व वादी के माता–पिता ने अच्छे खानदान परिवारों में कर दी। आज प्रतिवादीया सं. 2 ता 4 अपने अपने परिवारों में राजी खुशी रह रही है। आज प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है। इसलिए उपरोक्त खाता सं. 27/27 के खाता की 1.581है0 भूमि व इसी चक के खाता सं. 97/69 के खाता में 0.183 है. भूमि वादी को हिस्सा में प्राप्त हूई है। कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि चक 2 आई.डी.जी. के खाता सं. 27/27 में खाता सं. 97/69 में संसार सिंह की

मृत्यू उपरान्त पुर्व में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम ब.ही.ब. दर्ज होनी थी। जो सहबन भूलवंश तत्कालीन कर्मचारियों की त्रुटी के कारण खाता सं. 27/27 में वादी की बहन प्रतिवादीगण सं. 4 सिमरजीत कौर का नाम व इसी अनुसार खाता सं. 97/69 में वादी की माता बलदेवकौर का नाम ईतकाल में दर्ज होते वक्त रह गया जिस कारण वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम 1/5 हिस्सा के स्थान पर गलती से 1/4 हिस्सा दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त किया जाकर 1/5 हिस्सा सही न्याय निर्णय हेतू पढ़ा जावें। व इसी प्रकार इसी चक के खाता सं. 97/69 में संसार सिंह की मृत्यु उपरान्त संसारसिंह की भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज होनी थी। जो सहबन भूलवंश तत्कालीन कर्मचारियो की त्रूटि के कारण वादी की माता प्रतिवादीगण सं. 1 बलदेवकौर पत्नी संसारसिंह का नाम ईन्तकाल दर्ज होते वक्त रह गया। माता बलदेवकौर की जगह वादी की बहन चरणजीतकौर प्रतिवादी सं. 2 का नाम जमाबन्दी में दो बार दर्ज हो गया। जबकि हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम ब.ही.ब. दर्ज होना था। जिसे वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का 1/5 हिस्सा ब.ही.ब. सही न्याय निर्णय हेतू पढ़ा जावे। प्रतिवादीया सं. 1 व 4 का वाद भूमि में विरास्तन हिस्सा होने के कारण वाद पत्र में बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है। कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि का वादी घरू बंटवारा के रोज से खातेदार काश्तकार कहलानें का अधिकारी व दावेदार है। वाद भूमि आज राजस्व रिकोर्ड में वादी के नाम कब्जा काश्त मुताबिक दर्ज नहीं होने के कारण सीव बंट रकम राज आबयाना इत्यिादी को लेकर बिना वजह विवाद रहता है। तथा बैंक ऋण लेने में भी परेशानी आ रही है। जबकि वादी घरू बंटवारा मुताबिक हिस्सा में आई चक 2 आई. डी.जी. के खाता सं. 27/27 में दर्ज 1.581है0 व खाता सं. 97/69 में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज भूमि का खातेदार काश्तकार कहलानें का अधिकारी है। कि गत माह वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 से नम्र निवेदन किया कि वो वाद–पत्र कि चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करवा लेवे। पहले तो वह आज कल आज कल करते रहे गत सप्ताह ऐसा करने से स्पषट इन्कार हो गयें। बस यही वाद कारण है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 26.5.2023 को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भीमसिंह छिंपा ने वकालतनामा मय इकबाल दावा पेश किया व जबाव स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी के वाद का कोई विरोध पत्रावली पर नही आने के कारण विवाद्यक बिन्दु कायम नही किये जाकर साक्ष्य वादी करवाये गये। साक्ष्य वादी में वादी जसवीरसिंह ने अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश कर वाद पत्र में संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी को प्रदर्शित करवाया गया जो प्रदर्श 1 से 3 है। तथा ओर साक्ष्य वादी व प्रतिवादीगण पेश नही करना चाहते है इसलिए साक्ष्य बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

बहस उभय पक्ष सुनी गई वादी के अभिभाषक ने वादपत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि वादी का वादपत्र मांगे गए अनुतोष मुताबिक डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने भी वादी के वादपत्र को मांगे गये अनुतोष मुताबिक डिक्री किये जाने का कोई विरोध नही किया।

हमारे द्वारा वादी व प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया गया व वादी की ओर से पेश पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिर्काड जमाबन्दी प्रर्दश 1 से 2 तथा विरास्तन राजस्व रिकार्ड दस्तावेजी साक्ष्य तथा ब्यान गवाहान जसवीरसिंह की साक्ष्य आदि का अवलोकन करने से वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादीया सं. 1 वादी की माता व प्रतिवादीया सं. 2 ता 3 वादी की सगी बहिने है वादी के वादपत्र को स्वीकार करते हुऐ सहमति का ईकबाल दावा प्रतिवादीगण ने पेश किया है। वादी

की ओर से पेश दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वादी जसवीरसिंह को वादग्रस्त आराजी प्राप्त होना साबित है। वादी की ओर से पेश विरास्तन साक्ष्य के तौर पर पेश दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी से वादग्रस्त आराजी विरास्तन होना साबित है। वादपत्र को कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने तथा विरास्तन आराजी साबित होने से वादी का वादपत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी चक 2 आई.डी.जी. के खाता सं. 27/27 में दर्ज 1.581है0 का व खाता सं. 97/69 में प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के नाम दर्ज .0.146 है. हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। उक्त खाता सं. 27/27 से प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कलमजन कर समस्त हिस्सा 1.581 है. हिस्सा व खाता सं. 97/69 से प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का नाम कलमजन कर 0.146 है. हिस्सा वादी के नाम दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 7/7/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/7/23

(रमेश देव)

सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी,

संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

बईजलास – रमेश देव (आर.ए.एस.)

जसवीर सिंह पुत्र संसार सिंह जाति जटसिख साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) हाल साकिन बजीतपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।

–वादी

बनाम

1. बलदेव कौर पत्नी स्व. संसार सिंह जाति जटसिख साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया हाल साकिन बजीतपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. चरणजीत कौर पुत्री स्व. संसार सिंह पत्नी संतपाल सिंह जाति जटसिंख साकिन डबलीबास कुतूब तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. जसविन्द्र कौर पुत्री स्व. संसार सिंह पत्नी सोमा सिंह जाति जटसिख साकिन डबलीबास कुतूब तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. सिमरजीत कौर पुत्री स्व. संसार सिंह पत्नी गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं 7 चक 10 एस.एल. डब्लू सिलवाला खुर्द तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा हक **मुकदमा संख्या 192/2023**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी एड. मिन जामिन मुदई श्री संजीव बिश्नोई एड.मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :– अतः वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि चक 2 आई.डी.जी. के खाता सं. 27/27 में दर्ज 1.581है0 का व खाता सं. 97/69 में प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के नाम दर्ज .0.146 है. हिस्सा कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त खाता सं. 27/27 से प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कलमजन कर 1.581 है. समस्त हिस्सा व खाता सं. 97/69 से प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का नाम कलमजन कर 0.146 है. हिस्सा वादी के नाम दर्ज किया जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

नोटः– संबधित बैंक का ऋण चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

निज..X..मुब्लिक ....X.. बाबत ...X. खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक .....X... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 7/3/2023 को जारी किया गया।

7/3/23

(रमेश देव)

सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official